

## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

### आदेश

निम्नांकित कार्मिक जो व्याख्याता-हिन्दी के रूप में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय/संस्था में कार्यरत हैं, को अधिवार्षिकी की आयु पूरी कर लेने पर नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है -

क्र. सं.	नाम कार्मिक	पदस्थापन स्थान (राउमावि)	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	लाधुराम आचार्य	शिशोदा-राजसमंद	14/07/1959	31/07/2019
2	सुरेन्द्र सिंह परमार	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बसेडी - धौलपुर	05.08.1959	31/08/2019
3	लालचन्द्र	गजरूपदेसर नोखा बीकानेर	16.06.1959	30/06/2019
4	सुरन्द्र कुमार आमेटा	आर.पी. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सेमारी उदयपुर	29-09-1959	30/09/2019
5	रूपसिंह राजपुरोहित	डाईट कुचामन सिटी नागौर	12-01-1960	31/01/2020

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित व्याख्याताओं के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।



(नथमल डिडेल)

आइ.ए.एस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर


www.rajteachers.com

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/10908/सेवानिवृत्ति/हिन्दी/2019-20

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. संबधित संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग
3. संबधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
4. संबधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/संबधित शाला-संस्था प्रधान/कार्मिक
5. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
6. निजी एवं रक्षित पत्रावली

दिनांक- 10/05/19



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान


बीकानेर

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## :: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 18.03.2019 द्वारा क्रम संख्या 44 पर अंकित श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा, व्याख्याता अंग्रेजी, राउमावि निठार वार्ड नं. 3, वैर, भरतपुर जन्म तिथि 25.09.1959 का सेवानिवृत्ति आदेश जारी किया गया था।

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए इनका नाम श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा के स्थान पर श्री पुष्पेन्द्र कुमार पढा जावें। शेष यथावत।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर


क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-1/सेवानिवृत्ति/अंग्रेजी/2019-20

दिनांक : 13-5-19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत प्रेषित है :-

1. सम्बंधित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग,
2. संबंधित उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधी विभाग,
3. संबंधित संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
4. सिस्टम एनेलिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय
6. संबंधित प्रधानाचार्य,
7. संबंधित कार्मिक
8. निजी/रक्षित पत्रावली

[www.rajteachers.com](http://www.rajteachers.com)

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## :: कार्यालय आदेश ::

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प.11(7)/वित्त (नियम)/2008 दिनांक:12.09.08 एवं आदेश संख्या एफ. 11(7)/वित्त (नियम) पार्ट-I/2008 दिनांक: 06.08.2008 के अनुसरण में राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित अधिकारियों (व्याख्याता-आरवीआरईएस) को राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 14 एवं 15 के तहत उनके नाम के आगे अंकित विवरण अनुसार एसीपी (आश्वासित कैरियर प्रगति) वेतन बैंड (9300-34800)/(15600-39100)/पे मैट्रिक्स लेवल एवं कॉलम संख्या 08 के अनुसार ग्रेड वेतन एवं लेवल संख्या, कॉलम संख्या 9 में अंकित तिथि से स्वीकृत किया जाता है।

क्र.सं.	नाम मय पदस्थापन स्थान (राउमावि/बाउमावि)	विषय	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	व्याख्याता पद पर चयन का प्रकार	एसीपी स्वीकृति से संबंधित सेवावधि का विवरण	PAY MATRIX LEVER NO/ GRADE PAY	एसीपी स्वीकृति तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अनिल कुमार पाण्डेय, बड़गौव (उदयपुर)	भौतिक	07.12.64	01.03.98	अनुदानित से स्क्रिण्ड	20 वर्ष	L-14	01.03.18
2.	अजब सिंह गोदारा, अरड़की (श्रीगंगानगर)	भौतिक	05.07.68	27.07.95	अनुदानित से स्क्रिण्ड	20 वर्ष	6000	27.07.15

पुनरीक्षित वेतनमान नियम-2008 एवं नियम 2017 के तहत उक्त कार्मिक का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जावेगा। वेतन निर्धारण सम्बन्धित व्याख्याता का एसीपी (आश्वासित कैरियर प्रगति) स्वीकृति तिथि (कॉलम संख्या-09 में अंकित तिथि) को पुनरीक्षित वेतनमान नियम-2008 में पूर्व में प्राप्त किये जाने वाले वेतन की 3 प्रतिशत वेतनवृद्धि एवं ग्रेड वेतन की अन्तर राशि जोड़कर किया जावेगा तथा पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में पे मैट्रिक्स लेवल के अनुसार किया जावेगा। निर्देशानुसार इन्हें दिनांक: 01.07.2011 से पूर्व का एरियर राज्य सरकार द्वारा देय नहीं है। इस स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित व्याख्याता की सेवा-पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावें।

(नथमल डिडेल)

आईएसएस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक 10-05-19

www.rajteachers.com

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-3/एसीपी/भौगक/आरवीआरईएस/एसीपी/2018

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 01- संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय।
- 02- संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मुख्यालय।
- 03- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक) जिला मुख्यालय।
- 04- संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक मुख्यालय।
- 05- सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक), कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 06- संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक।
- 07- निजी एवं रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2008 के नियम 19 के अनुसार निम्न व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) को राज्य सेवा में/वर्तमान पद पर कॉलम संख्या 6 में अंकित निरन्तर संतोषजनक सेवावधि पूर्ण करने पर उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 10 में अंकित तिथि से आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है।

क्र. सं	नाम कार्मिक मय पद स्थापन स्थान	व्याख्याता का विषय	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	व्याख्याता पद पर कार्यग्रहण एवं चयन का प्रकार	स्वीकृत एसीपी I,II,III	वेतन बेण्ड	स्वीकृत ग्रेड वेतन	स्वीकृत तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	भीरेन्द्र कुमार बाघोरिया राउमावि कोटकासिम अलवर	जीव विज्ञान	26.06.75	14.12.98 व0अ0	डीपीसी 2015-16	20 वर्षीय	पी.एम.एल-13	पी.एम. एल 13	14.12.18
2	हरिओम गुप्ता आर.के. जोशी, दौसा	जीव विज्ञान	01.07.74	11.12.98 व0अ0	डीपीसी 2015-16	20 वर्षीय	पी.एम.एल-13	पी.एम. एल 13	11.12.18
3	रमेश कुमार राउमावि शिव नागौर	रसायन विज्ञान	20.05.73	04.11.97 व0अ0	डीपीसी 2015-16	20 वर्षीय	पी.एम.एल-13	पी.एम. एल 13	04.11.17
4	श्रवण कुमार राउमावि झांझड झुंझुनू	रसायन विज्ञान	01.09.72	22.11.97 व0अ0	डीपीसी 2015-16	20 वर्षीय	पी.एम.एल-13	पी.एम. एल 13	22.11.17

उपरोक्त व्याख्याता का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। इस स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।

(नथमल डिडेन)

आई.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक 13/05/19

[www.rajteachers.com](http://www.rajteachers.com)

क्रमांक:शिविरा-मा/संस्था/सी-4/रजीगृ/एसीपी/2019-20

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक (माध्यमिक).....
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक.....
3. संबंधित प्रधानाचार्य राउमावि.....
4. संबंधित कार्मिक...
5. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा
6. गार्ड पंजिका


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 06.03.2019 द्वारा क्रम संख्या 06, मेरिट क्रमांक 127 वर्ग ओबीसी पर अंकित श्री राकेश कुमार गढवाल, व्याख्याता अंग्रेजी, श्री कल्याण राउमावि सीकर जन्मतिथि 14.12.1978 का दिनांक 02.01.2009 से स्थाईकरण आदेश जारी किया गया था।

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन कर इनकी जन्मतिथि 14.12.1978 के स्थान पर 04.12.1978 पढा जावे। शेष यथावत।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-1/अंग्रेजी/स्थाईकरण/पीएससी-06/2017 दिनांक:- 13-5-19

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. उप शासन सचिव-प्रथम, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर
3. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय
6. संबंधित संस्था प्रधान,
7. संबंधित कार्मिक,
8. निजी/रक्षित पत्रावली

[www.rajteachers.com](http://www.rajteachers.com)

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय आदेश

राज्य सरकार वित्त विभाग के आदेश एफ 10(4) ग्रुप-2/एफडी/76/ दिनांक: 13.03.84 एवं संशोधित आदेश दिनांक 18.08.89, 02.05.98, 12.09.98 एवं एफडी/ रूल्स/2010 दिनांक: 25.04.2012 के अंतर्गत श्री मूलाराम पंवार व्याख्याता (वाणिज्य), राउमावि स्टेशन रोड, बाड़मेर को इनके आवेदन पत्र इस कार्यालय को प्राप्त होने की तिथि 08.05.2019 से उनके मूल वेतन का छः प्रतिशत जो अधिकतम 600/- (अखरे छः सौ रुपये मात्र) तक प्रतिमाह की दर से विकलांग वाहन भत्ता एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

इन्हे आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाश का उपभोग करने की अवधि का यथा ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण पदोन्नति एवं अन्य किसी कारण से कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि का तथा निलम्बित अवधि का विकलांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा।



(नथमल डिडेल)

IAS

निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर


www.rajteachers.com

क्रमांक:- शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/वाणि-इति/विकलांग वाहन भत्ता/2019

दिनांक:- 13.5.19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. संबधित संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा.....
2. संबधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय).....
3. संबधित मुख्य ब्लाक जिला शिक्षा अधिकारी.....
4. सम्बन्धित प्रधानाचार्य.....
5. संबधित कार्मिक
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय हाजा
7. निजी एवं रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

1	प्रधानाचार्य, राआउमावि गडा मोरैया, डूंगरपुर	श्री रितेश कुमार पण्ड्या, व्या. राआउमावि गडा मोरैया, डूंगरपुर	डूंगरपुर
2	प्रधानाचार्य, राउमावि ईटावालाखा, मकराना, नागौर	श्री सतीश कुमार खारीया, प्रधानाचार्य, राउमावि सरनावड़ा, मकराना, नागौर	मकराना
3	प्रधानाध्यापक, रामावि प्यावा, डीडवाना, नागौर	श्री पूर्णाराम, व्या. राउमावि सानियाँ, डीडवाना, नागौर	डीडवाना




वित्तीय सलाहकार,  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर

दिनांक: 14.05.2019

क्रमांक: शिविरा/माध्य/स्थिरी-स/34180/17-18/

प्रतिलिपि:

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, जयपुर ।
2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी ।
3. सम्बन्धित संस्था प्रधान ।
4. सम्बन्धित कोष/ ।
5. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।



वरिष्ठ लेखाधिकारी  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर

# कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/साप्र/ए-2/टंकण परीक्षा/मॉक टेस्ट/शिथिलन/18/194

दिनांक :- 14.05-19

समस्त संयुक्त निदेशक,  
संभाग स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल,

रजिस्टर्ड-पत्र

**विषय :-** मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को टंकण परीक्षा में शिथिलन प्रदान करने हेतु प्राप्त संशोधित परिणाम के संबंध में।

**प्रसंग :-** शासन का पत्र क्रमांक पं.12(2) शिक्षा-2/टंकण परीक्षा/22.10.18/2016 पार्ट जयपुर दिनांक 25.04.19 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में निम्नांकित मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों का मॉक टंकण टेस्ट का संशोधित रिजल्ट निम्नानुसार जारी किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम कार्मिक एवं पदस्थापन स्थान	परीक्षा आयोजन तिथि	पूर्व में जारी रिजल्ट के पत्र क्रमांक एवं दिनांक/विवरण	संशोधित रिजल्ट
1.	श्री चेतन चौहान, कनि. सहा. राउमावि नर्बदखेडा अजमेर	05.09.18	शासन के पत्र दिनांक 20.09.18 एवं कार्यालय का समसंख्यक पत्रांक 67 दिनांक 13.11.18 में कार्मिक का नाम सहवन से अंकित नहीं हुआ।	अनुपस्थित
2.	अनिल कुमार मीणा कनि. सहा. राबामावि गोनेर जयपुर	26.09.18	शासन के पत्र दिनांक 22.10.18 एवं कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 102 दिनांक 19.11.18 में कार्मिक का नाम सहवन से अंकित नहीं हुआ	अनुपस्थित
3.	श्री सुशील कुमार शर्मा कनि.सहा. जिशिअ मा.शि. चूरु	26.09.18	शासन के पत्र दिनांक 22.10.18 एवं कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 102 दिनांक 19.11.18 में कार्मिक का नाम सहवन से दो बार (अनुपस्थित एवं अनुत्तीर्ण) अंकित था	अनुत्तीर्ण
4.	अभिषेक सिंह कनि. सहा. बीईईओ झोटवाडा (जयपुर)	22.10.18	शासन के पत्र दिनांक 29.10.18 एवं कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 112 दिनांक 29.11.18 में कार्मिक का नाम सहवन से अंकित नहीं हुआ।	अनुपस्थित
5.	प्रणवेन्द्र यादव कनि. सहा. जिशिअ मा.शि. जयपुर	22.10.18	शासन के पत्र दिनांक 29.10.18 एवं कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 112 दिनांक 29.11.18 में कार्मिक को अनुत्तीर्ण (अंग्रेजी-23.72) किया गया था	उत्तीर्ण (अंग्रेजी-31.16)

उपरोक्तानुसार उत्तीर्ण कार्मिक को आगामी आयोजित होने वाली कम्प्युटर टंकण गति परीक्षा में बैठने की स्वीकृति विभाग द्वारा निर्धारित वांछित कम्प्युटर योग्यता अर्जित करने की शर्त पर प्रदान करने के साथ अनुपस्थित कार्मिकों को अनुपस्थित रहने के संबंध में कारण बताओं नोटिस जारी करने का प्रश्न करावें।

[www.rajteachers.com](http://www.rajteachers.com)

उप निदेशक (प्रशासन)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में।
2. संबंधित जिशिअ (मुख्यालय) मा. शि./प्रा.शि. अजमेर/जयपुर/चूरु
3. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, झोटवाडा (जयपुर)
4. संबंधित संस्था प्रधान
5. अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर अनुभाग को उक्त रिजल्ट विभागीय वेब पोर्टल पर अपलोड हेतु।
6. संबंधित कार्मिक
7. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (प्रशासन)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर



# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।

क्रमांक:-शिविरा/बजट/बी-3/25250/2019-20/

दिनांक:-14/05/19

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)

विषय:-शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में प्रविष्ट दुर्बल वर्ग एवं असुविधा-ग्रस्त समूह के बालकों के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति राशि आवंटन वर्ष 19-20

प्रसंग:- पीएसपी-सी अनुभाग की अ.टि.शिविरा/माध्य/आरटीई/बजट/60338 /19-20/दिनांक 10.05.2019 एवं राज्य सरकार के पत्रांक प.12(6)/शिक्षा-5/आरटीई दिशा निर्देश/2004 /2014 पार्ट जयपुर दिनांक 03.05.19

विषयान्तर्गत प्रासंगिक अ.टि. एवं राज्य सरकार के पत्र दिनांक 03.05.2019 के दिशा निर्देशों के क्रम में भुगतान से वंचित गैर सरकारी विद्यालयों को पुनर्भरण हेतु आपके कार्यालय को नीचे लिखे लेखामदों में उनके सामने अंकितानुसार राशि का आवंटन वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु किया जाता है। आबंटित राशि का व्यय राज्य सरकार के प्रासंगिक आदेश दिनांक 03.05.19 में वर्णित दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावे।

मांग संख्या-51

क्र.सं.	आफिस आईडी	कार्यालय का नाम	राज्य निधि	केन्द्रीय
1	4492	D.E.O. (H.Q.) SEC. EDU., CHURU	3200000	15000000
2	7236	D.E.O. (H.Q.) SEC. EDU., BHARATPUR	1700000	5000000
3	7576	D.E.O. (H.Q.) SEC. EDU., DHOLPUR	2000000	5000000
4	8055	D.E.O. (H.Q.) SEC. EDU., KARALI	2000000	5000000
5	8914	D.E.O. (H.Q.) SEC. EDU., DAUSA	3800000	10000000
6	13122	D.E.O. (H.Q.) SEC. EDU., JODHPUR	9000000	25000000
7	13291	D.E.O. (H.Q.) SEC. EDU., JAISALMER	400000	800000
8	15571	D.E.O. (H.Q.) SEC. EDU., PALI	800000	2500000
9	16781	D.E.O. (H.Q.) SEC. EDU., TONK	1000000	3000000
10	17971	D.E.O. (H.Q.) SEC. EDU., BHILWARA	400000	2000000
			24300000	73300000

www.rajteachers.com

वित्तीय सलाहकार

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/बजट/बी-3/25250/2019-20/

दिनांक:-14/05/19

- 1 निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
- 2 कोषाधिकारी, जिला कोषालय,.....
- 3 सिस्टम अनालिस्ट, विभागीय वेबसाइट पर जारी करने हेतु।
- 4 सहायक निदेशक (पीएसपीसी) कार्यालय हाजा को उनकी प्रासंगिक अ.टि.दिनांक 10.05.19 के क्रम में भेजकर लेख है कि आबंटित राशि के उपयोग के सन्दर्भ में राज्य सरकार के प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के क्रम में आपके अनुभाग स्तर पर भी अधिनस्थ कार्यालयों को आदेश/परिपत्र जारी करावे।
- 5 प्रभारी, पुनः समाधान दल कार्यालय हाजा।
- 6 प्रभारी कम्प्यूटर प्रभाग (बजट), ऑनलाईन जारी करने हेतु।
- 7 रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।

क्रमांक:-शिविरा/बजट/बी-3/25250/2019-20/

दिनांक:-14/5/19

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)

विषय:-शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में प्रविष्ट दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति राशि आवंटन वर्ष 2019-20

प्रसंग:- पीएसपी-सी अनुभाग की अ.टि.शिविरा/माध्य/आरटीई/बजट/60338/19-20/ .  
.दिनांक 10.05.2019 एवं राज्य सरकार के पत्रांक प.12(6)/शिक्षा-5/आरटीई दिशा निर्देश/  
2004/2014 पार्ट जयपुर दिनांक 03.05.19

विषयान्तर्गत प्रासंगिक अ.टि. एवं राज्य सरकार के पत्र दिनांक 03.05.2019 के दिशा निर्देशों के क्रम में भुगतान से वंचित गैर सरकारी विद्यालयों को पुनर्भरण हेतु आपके कार्यालय को नीचे लिखे लेखामदों में उनके सामने अंकितानुसार राशि का आवंटन वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु किया जाता है। आबंटित राशि का व्यय राज्य सरकार के प्रासंगिक आदेश दिनांक 03.05.19 में वर्णित दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावे।

मांग संख्या-24

2202-सामान्य शिक्षा		01-प्रारम्भिक शिक्षा, 800- अन्य व्यय		
(14)-शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों को पुनर्भरण.		आबंटित राशि		
57-विभागों की विशिष्ट सेवाओं के लिये संदाय				
क्र.स.	आफिस आईडी	कार्यालय का नाम	राज्य निधि	केन्द्रीय
1	2735	D.E.O. (H.Q.) SEC. EDU., GANGANAGAR	9000000	2300000
2	3282	D.E.O. (H.Q.) SEC. EDU., HANUMANGARH	13000000	2500000
3	5349	D.E.O. (H.Q.) SEC. EDU., JHUNJHUNU	8000000	2600000
4	8468	D.E.O. (H.Q.) SEC. EDU., SAWAIMADHOPUR	5900000	0
5	10196	D.E.O. (H.Q.) SEC. EDU., JAIPUR	50000000	13600000
6	16289	D.E.O. (H.Q.) SEC. EDU., AJMER	10000000	6200000
7	17137	D.E.O. (H.Q.) SEC. EDU., BUNDI	2700000	0
			98600000	27200000

www.rajteachers.com

वित्तीय सलाहकार

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

दिनांक:-14/5/19

क्रमांक:-शिविरा/बजट/बी-3/25250/2019-20/

1 निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।

2 कोषाधिकारी, जिला कोषालय,.....

3 सिस्टम अनालिस्ट, विभागीय वेबसाइट पर जारी करने हेतु।

4 सहायक निदेशक (पीएसपीसी) कार्यालय हाजा को उनकी प्रासंगिक अ.टि.दिनांक 10.05.19 के क्रम में भेजकर लेख है कि आबंटित राशि के उपयोग के सन्दर्भ में राज्य सरकार के प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के क्रम में आपके अनुभाग स्तर पर भी अधिनस्थ कार्यालयों को आदेश/परिपत्र जारी करावे।

5 प्रभारी, पुनः समाधान दल कार्यालय हाजा।

6 प्रभारी कम्प्यूटर प्रभाग (बजट), ऑनलाईन जारी करने हेतु।

7 रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।

क्रमांक:-शिविरा/बजट/बी-3/25250/2019-20/

दिनांक:- 14/5/19

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)

विषय:-शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में प्रविष्ट दुर्बल वर्ग एवं असुविधा-  
ग्रस्त समूह के बालकों के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति राशि आवंटन वर्ष 19-20

प्रसंग:- पीएसपी-सी अनुभाग की अ.टि.शिविरा/माध्य/आरटीई/बजट/60338 /19-20/दिनांक  
10.05.2019 एवं राज्य सरकार के पत्रांक प.12(6)/शिक्षा-5/आरटीई दिशा निर्देश/2004  
/2014 पार्ट जयपुर दिनांक 03.05.19

विषयान्तर्गत प्रासंगिक अ.टि. एवं राज्य सरकार के पत्र दिनांक 03.05.2019 के दिशा निर्देशों के  
क्रम में भुगतान से वंचित गैर सरकारी विद्यालयों को पुर्नभरण हेतु आपके कार्यालय को नीचे लिखे लेखामदों में उनके  
सामने अंकितानुसार राशि का आवंटन वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु किया जाता है। आबंटित राशि का व्यय राज्य  
सरकार के प्रासंगिक आदेश दिनांक 03.05.19 में वर्णित दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावे।

मांग संख्या-30

2202-सामान्य शिक्षा		01-प्रारम्भिक शिक्षा, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		
(11)-शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विद्यालयों की फीस का पुनःभरण 57-विभागों की विशिष्ट सेवाओं के लिये संदाय			आबंटित राशि	
क्र.स.	आफिस आईडी	कार्यालय का नाम	राज्य निधि	केन्द्रीय
1	6452	D.E.O. (H.Q.) SEC. EDU., ALWAR	0	5200000
2	12261	D.E.O. (H.Q.) SEC. EDU., NAGAU	20000000	6600000
3	14459	D.E.O. (H.Q.) SEC. EDU., JALORE	900000	2000000
4	14800	D.E.O. (H.Q.) SEC. EDU., SIROHI	800000	2000000
5	18401	D.E.O. (H.Q.) SEC. EDU., RAJSAMAND	1300000	5000000
6	20688	D.E.O. (H.Q.) SEC. EDU., UDAIPUR	0	6900000
7	20897	D.E.O. (H.Q.) SEC. EDU., DUNGARPUR	800000	1100000
8	21127	D.E.O. (H.Q.) SEC. EDU., BANSWARA	500000	1600000
9	21402	D.E.O. (H.Q.) SEC. EDU., CHITTORGARH	1100000	2500000
10	21597	D.E.O. (H.Q.) SEC. EDU., KOTA	2400000	15000000
11	21800	D.E.O. (H.Q.) SEC. EDU., BARAN	1400000	2000000
12	22087	D.E.O. (H.Q.) SEC. EDU., JHALAWAR	1000000	2500000
13	22191	D.E.O. (H.Q.) SEC. EDU., PRATAPGARH	200000	300000
			30400000	52700000

www.rajteachers.com

वित्तीय सलाहकार

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/बजट/बी-3/25250/2019-20/

दिनांक:- 14/5/19

- 1 निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
- 2 कोषाधिकारी, जिला कोषालय,.....
- 3 सिस्टम अनालिस्ट, विभागीय वेबसाईट पर जारी करने हेतु।  
सहायक निदेशक (पीएसपीसी) कार्यालय हाजा को उनकी प्रासंगिक अ.टि.दिनांक 10.05.19 के क्रम में भेजकर लेख है कि आबंटित राशि  
के उपयोग के सन्दर्भ में राज्य सरकार के प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के क्रम में आपके अनुभाग स्तर पर भी अधिनस्थ कार्यालयों को  
आदेश/परिपत्र जारी करावे।
- 4 प्रभारी, पुनः समाधान दल कार्यालय हाजा।
- 5 प्रभारी कम्प्यूटर प्रभा
- 6 रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/बजट/बी-5/25418/2019-20/

दिनांक :- 14-5-2019

प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक,

रा.उ.मा.वि./रा.मा.वि.,

विषय :- विस्तृत मद 04-चिकित्सा व्यय में अतिरिक्त राशि का आवंटन  
वित्तीय वर्ष 2019-20


उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार विद्यालयों से प्राप्त मांग के आधार पर मांग संख्या 24 बजट मद 2202-सामान्य शिक्षा, 02 - माध्यमिक शिक्षा, 109-राजकीय माध्यमिक विद्यालय, (01) - लड़कों के विद्यालय (राज्य निधि) के अन्तर्गत विस्तृत मद 04-चिकित्सा व्यय हेतु अतिरिक्त राशि का आवंटन वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए किया जाता है। आवंटित राशि का उपयोग नियमानुसार किया जावे तथा अधिशेष राशि का समर्पण यथाशीघ्र कर दिया जावे।

(राशि रूपयों में)

क्र.सं.	ऑफिस आईडी	नाम विद्यालय	जिला	04-चिकित्सा व्यय	विशेष विवरण
1	34695	GSS, CHARANVASI (NOHAR)	हनुमानगढ़	77600	श्री अनिल कुमार खाती की पत्नी के कैंसर रोग के ईलाज के बकाया दावो हेतु।
TOTAL :-				77600	

04-चिकित्सा व्यय अखरे रूपये सतहत्तर हजार छः सौ मात्र


www.rajteachers.com

  
वित्तीय सलाहकार  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/बजट/बी-5/25418/2019-20/  
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 14-5-2019

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा.....
- 2 कोषाधिकारी, जिला कोषालय, .....
- 3 सिस्टम अनालिस्ट, विभागीय वेबसाईट पर जारी करने हेतु।
- 4 प्रभारी, पुनः समाधान दल, कार्यालय हाजा
- 5 प्रभारी कम्प्यूटर प्रभाग (बजट), ऑनलाईन जारी करने हेतु।
- 6 रक्षित पत्रावली

  
लेखाधिकारी  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर